भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 895

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेजों में स्नातक/ स्नातकोत्तर सीटें

895. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और साथ ही एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजो की संख्या 2014 से पहले 387 से 88% बढ़कर अब 731 हो गई है। इसके अलावा एमबीबीएस की सीटें 2014 से पहले 51,348 से 118% बढ़कर अब 1,12,112 हो गई हैं। स्नातकोत्तर सीटें 2014 से पहले 31,185 से 133% बढ़कर अब 72,627 हो गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों (एनबीईएमएस सीटों को छोड़कर) का विवरण इस प्रकार है:

सत्र	सरकारी मेडिकल कॉलेज		निजी मेडिकल कॉलेज	
	स्नातक सीटें	स्नातकोत्तर सीटें	स्नातक सीटें	स्नातकोत्तर सीटें
2021-22	48212	28260	43915	17858
2022-23	51912	30211	44365	19362
2023-24	56300	33416	52640	21418

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय/कदम इस प्रकार हैं:-

i. जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके अंतर्गत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 109 पहले से ही कार्यशील हैं।

ii. एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ /उन्नत करने के लिए सीएसएस, जिसके तहत 5972.20 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, 1498.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-I में 72 कॉलेजों में 4058 स्नातकोत्तर सीटों और 4478.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-II में 65 कॉलेजों में 4000 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

v. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा-विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाना।

*****